Victorian Equal Opportunity & Human Rights Commission

समानावसर अधिनियम 2010 - धार्मिक अपवाद सुधार

विक्टोरिया सरकार ने हाल ही में समानावसर अधिनियम (2010) में परिवर्तन किए हैं। ये परिवर्तन 14 जून 2022 से लागू हो गए हैं। परिवर्तन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तथा भेदभाव-विमुक्त होने के अधिकार के बीच और अधिक निष्पक्ष संतुलन सुनिश्चित करते हैं।

यह तथ्य पत्रक धार्मिक संगठनों और स्कूलों तथा विक्टोरिया समुदाय के लिए भेदभाव-विरोधी कानूनों में परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

भेदभाव

जब किसी व्यक्ति के साथ कानून के तहत संरक्षित किसी व्यक्तिगत विशेषता के कारण अनुचित व्यवहार किया जाता है, तो यह भेदभाव होता है।

समानावसर अधिनियम (2010) केसार्वजनिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में भेदभाव और यौन उत्पीड़न को गैर-कानूनी बनाता है। इसमें कार्यस्थल, स्कूल या दुकानें शामिल हैं।

किंतु अधिनियम में सभी लोगों के अधिकारों का संतुलन करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। इसमें धार्मिक आस्थावान लोगों के अधिकार भी शामिल हैं। यही कारण है कि ऐसे कुछ अपवाद हैं, जिनके तहत कुछ परिस्थितियों में भेदभाव गैर-कानूनी नहीं होता है।

धार्मिक अपवाद

14 जून 2022 से पूर्व समानावसर अधिनियम (Equal Opportunity Act) के तहत धार्मिक निकायों और स्कूलों को निम्नलिखित में से किसी भी व्यक्तिगत विशेषता के कारण व्यक्ति के प्रति भेदभाव करने की अनुमति थी:

- लिंग
- यौन अभिविन्यास
- वैध यौन गतिविधि
- वैवाहिक स्थिति
- माता/पिता होने की स्थिति
- लैंगिक पहचान।

इन्हें इस तथ्य पत्रक में "प्रकाशित व्यक्तिगत विशेषताएँ" कहा जाएगा।

इसका अर्थ यह था कि धार्मिक निकाय और स्कूल किसी भी प्रकाशित व्यक्तिगत विशेषता के आधार पर कानूनी रूप से ये कार्य कर सकते थे:

- भावी विद्यार्थी को प्रवेश लेने से मना करना
- विद्यार्थी को निष्कासित करना
- किसी को रोजगार देने से मना करना
- किसी को काम से निकालना, या
- किसी के साथ अन्यथा अलग व्यवहार करना।

14 जून 2022 से समानावसर अधिनियम में परिवर्तन

14 जून 2022 से धार्मिक निकायों और स्कूलों को प्रकाशित व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर इन कार्यों में लोगों के प्रति भेदभाव करने की अनुमति नहीं है:

• रोजगार से संबंधित निर्णय

• स्कूली विद्यार्थियों के बारे में निर्णय।

किंतु वे सीमित परिस्थितियों में भेदभाव के उचित और आनुपातिक होने पर धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं।

रोजगार से संबंधित भेदभाव

धार्मिक निकाय और स्कूल किसी भी प्रकाशित व्यक्तिगत विशेषता के कारण कर्मचारियों (और भावी कर्मचारियों) को काम से निकाल नहीं सकते हैं, रोजगार देने से मना नहीं कर सकते हैं या अन्यथा भेदभाव नहीं कर सकते हैं।

धार्मिक निकाय और स्कूल अब केवल तभी कर्मचारियों (और भावी कर्मचारियों) के विरुद्ध व्यक्ति के धार्मिक विश्वास या गतिविधि के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, यदि:

• धार्मिक मान्यताओं के साथ अनुरूपता रोजगार की अंतर्निहित (आधारिक, अनिवार्य या महत्वपूर्ण) आवश्यकता है

परिवर्तन का उदाहरण

एक व्यक्ति, जो ईसाई और ट्रांसजेंडर दोनों है, किसी बड़े ईसाई धर्मार्थ संगठन का डिप्टी सीईओ बनने के लिए आवेदन करता है।

ईसाई संगठन इस आधार पर उस व्यक्ति को नियुक्त करने से मना नहीं कर सकता है क्योंकि वह ट्रांसजेंडर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं।

किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि वह व्यक्ति सबसे अच्छा उम्मीदवार नहीं था, तो संगठन को उन्हें नियुक्त करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

• कोई अन्य व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास या गतिविधि के कारण उस अंतर्निहित आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है

• यह भेदभाव परिस्थितियों के तहत उचित और आनुपातिक है।

विद्यार्थियों से संबंधित भेदभाव

धार्मिक स्कूल विद्यार्थियों और भावी विद्यार्थियों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते हैं, उन्हें निष्कासित नहीं कर सकते हैं या किसी भी प्रकाशित व्यक्तिगत विशेषता के कारण उनके प्रति अन्यथा भेदभाव नहीं कर सकते हैं (उदाहरण के लिए विद्यार्थी समलैंगिक है)। स्कूल केवल विद्यार्थी, या भावी विद्यार्थियों, धार्मिक विश्वासों या गतिविधियों के आधार पर ही भेदभाव कर सकते हैं। किंतु यह भेदभाव परिस्थितियों के तहत उचित और आनुपातिक होना चाहिए और:

• ऐसा करना स्कूल की आस्थाओं, विश्वासों या धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप है, या

• स्कूल के धर्म की धार्मिक संवेदनशीलता को चोट पहुंचने से बचाने के लिए भेदभाव करना उचित रूप से आवश्यक है।

धार्मिक निकायों द्वारा भेदभाव

धार्मिक निकाय अभी भी अन्य परिस्थितियों में किसी प्रकाशित व्यक्तिगत विशेषता के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। किंतु एक नई आवश्यकता नियत की गई है। परिस्थितियों के तहत भेदभाव उचित और आनुपातिक होने की आवश्यकता है। मौजूदा आवश्यकताओं के अतिरिक्त यह अनिवार्य है कि ऐसा करना:

• धर्म के सिद्धांतों या विश्वासों के अनुरूप है, या

• धर्मानुयायियों की धार्मिक संवेदनशीलता को चोट पहुंचने से बचाने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक है।

व्यक्ति-विशेषों द्वारा भेदभाव

व्यक्ति-विशेष धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के लिए समानावसर अधिनियम के तहत आने वाली परिस्थितियों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं।

समानावसर अधिनियम में 14 दिसंबर 2022 से परिवर्तन

14 दिसंबर 2022 से समानावसर अधिनियम में धार्मिक अपवादों के लिए और अधिक परिवर्तन लागू होंगे।

इस तिथि से विक्टोरिया सरकार द्वारा वित्त-पोषित धार्मिक निकाय वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध कराते समय केवल व्यक्ति के धार्मिक विश्वास के आधार पर ही भेदभाव करने में सक्षम होंगे। वे अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर भेदभाव करने में सक्षम नहीं होंगे।

क्या अपरिवर्तित है

14 जून और 14 दिसंबर 2022 के बाद धार्मिक निकाय और स्कूल निम्नलिखित के संबंध में भेदभाव करने में सक्षम होंगे:

• पादरियों, धर्मगुरुओं या धार्मिक समूहों के सदस्यों की दीक्षा या नियुक्ति

• पादरियों, धर्मगुरुओं या धार्मिक समूहों के सदस्यों के रूप में दीक्षा या नियुक्ति के इच्छुक लोगों का प्रशिक्षण या शिक्षा

• किसी भी धार्मिक अनुपालना या प्रथा से संबंधित कार्य करने या इसमें भाग लेने के लिए लोगों का चयन या नियुक्ति।

कानून का अनुपालन

धार्मिक निकायों और स्कूलों द्वारा समानावसर अधिनियम का अनुपालन न करने पर विक्टोरिया समानावसर और मानवाधिकार आयोग के पास शिकायत की जा सकती है।

जो धार्मिक संगठन और निकाय समानावसर अधिनियम के तहत कर्तव्यधारक हैं, उनका भी यह कानूनी दायित्व है कि वे भेदभाव को समाप्त करने के लिए यथासंभव समुचित और आनुपातिक उपाय लागू करें। इसे 'सकारात्मक कर्तव्य' कहा जाता है। सामने आने वाली शिकायतों का मात्र उत्तर देना कानूनी अनुपालन के लिए पर्याप्त नहीं है।

कर्तव्यधारकों में ये शामिल हो सकते हैं:

• कार्य-नियोक्ता

• आवास, शिक्षा, माल और सेवा प्रदाता

• क्लब और खेल संगठन

विक्टोरिया समानावसर एवं मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट पर प्रथाओं और प्रक्रिया में सकारात्मक कर्तव्य को अंतर्निहित करने के तरीके के बारे में जानकारी उपलब्ध है।

विक्टोरिया समानावसर और मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट पर समानावसर अधिनियम में परिवर्तनों के बारे में और अधिक जानकारी उपलब्ध है।

यदि आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव किया गया है, तो न्याय विभाग एवं सामुदायिक सुरक्षा की वेबसाइट पर आगे की जानकारी, सलाह और सहायता सेवाएँ पाई जा सकती हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या परिवर्तनों का अर्थ है कि धार्मिक स्कूलों को ऐसे लोगों को काम पर रखना होगा, जो उनके समान धार्मिक विश्वास नहीं रखते हैं?

नहीं। यदि समान धार्मिक विश्वास रखना भूमिका का अंतर्निहित (यानी आधारिक, महत्वपूर्ण या अनिवार्य) भाग है, तो धार्मिक स्कूल केवल अपने समान धार्मिक विश्वास रखने वाले लोगों को ही काम पर रखने का विकल्प चुन सकते हैं।

क्या इन परिवर्तनों का अर्थ है कि अब धार्मिक स्कूल अपने धर्म के बारे में पढ़ा नहीं सकते हैं?

नहीं। प्रस्तावित कानून माता/पिता द्वारा अपने बच्चों को ऐसे धार्मिक स्कूलों में भेजने के अधिकार को प्रभावित नहीं करते हैं, जो उनके धर्म के बारे में पढ़ाते हैं या उसका पालन करते हैं।

क्या विक्टोरिया विश्व में एकमात्र स्थान है, जहाँ इस प्रकार के कानून है?

नहीं। तस्मानिया में भी इसी तरह के कानून हैं, जो एक दशक से भी अधिक समय से मौजूद हैं।

क्या परिवर्तनों का अर्थ यह है कि धार्मिक निकाय यह तय नहीं कर सकते हैं कि पादरी या इमाम बनने की अनुमति किस व्यक्ति को है?

नहीं। समानावसर अधिनियम पहले से ही धार्मिक निकायों को यह तय करने की अनुमति देता है कि ऐसी भूमिकाओं के लिए किसे चुना जा सकता है, जिनमें धार्मिक प्रथा या अनुपालना शामिल है, उदाहरण के लिए पादरी या इमाम। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और यह संशोधनों से प्रभावित नहीं हुआ है।

क्या परिवर्तनों का अर्थ है कि धार्मिक स्कूलों को अन्य धर्मों के विद्यार्थियों को स्वीकार करना होगा?

नहीं। समानावसर अधिनियम पहले से ही धार्मिक स्कूलों को केवल संबंद्ध धर्म के विद्यार्थियों को ही स्वीकार करने की अनुमति देता है। समानावसर अधिनियम में परिवर्तन का अर्थ है कि धार्मिक स्कूल केवल संबद्ध धर्म के विद्यार्थियों को ही स्वीकार करना जारी रख सकते हैं, यदि ऐसा करना परिस्थितियों के तहत उचित और आनुपातिक है।

क्या धार्मिक स्कूल किसी शिक्षक के समलैंगिक या अविवाहित माता/पिता होने के आधार पर उन्हें काम पर नहीं रखने का निर्णय ले सकते हैं?

नहीं। धार्मिक स्कूल किसी व्यक्ति के यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति के कारण उन्हें काम पर रखने से मना नहीं कर सकते हैं।

क्या धार्मिक स्कूलों के लिए किसी व्यक्ति को काम पर रखना अनिवार्य है, चाहे उस व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएँ स्कूल के लोगों से अलग हों?

नहीं। कुछ परिस्थितियों में स्कूल, जहाँ धार्मिक विश्वास भूमिका का एक अंतर्निहित (यानी महत्वपूर्ण या आवश्यक) भाग है, उस व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएँ स्कूल से अलग होने के आधार पर उन्हें काम पर नहीं रखने का निर्णय ले सकता है।

क्या समानावसर अधिनियम में परिवर्तनों के तहत राजनीतिक दलों जैसे अन्य समूहों को किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के चयन की अनुमति देकर दोहरे मापदंड पैदा हो रहे हैं, जबकि धार्मिक निकायों का यह अधिकार लुप्त हो रहा है?

धार्मिक निकाय और स्कूल धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति का चयन करना जारी रख सकते हैं। किंतु वे असंबद्ध विशेषताओं, जैसे लैंगिक रुझान या लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से राजनीतिक दल भी केवल व्यक्ति की राजनीतिक अवधारणाओं के आधार पर उन्हें नियुक्त करने का चयन कर सकते हैं, किंतु अन्य असंबद्ध विशेषताओं के आधार पर नहीं।

क्या ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करते हैं?

नहीं। ये परिवर्तन समानता के अधिकार के साथ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का यथोचित संतुलन बनाते हैं, ताकि दोनों को उपयुक्त मान्यता दी जा सके और इन दोनों का आनंद उठाया जा सके।

क्या ये परिवर्तन न्यायाधीशों के लिए किसी धार्मिक निकाय या स्कूल के लिए धर्म की उपयुक्तता तय करने की एक नई शक्ति पैदा करते हैं?

नहीं। ऑस्ट्रेलिया में मौजूदा कानूनों के तहत ऐसे समय होते हैं, जब न्यायालयों को प्रमाणों के आधार पर यह तय करने की आवश्यकता हो सकती है कि किसी धार्मिक निकाय या स्कूल द्वारा किस प्रकार के धर्म का पालन किया जा रहा है। यह पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर में मौजूदा कानूनों के तहत एक मुद्दा है और समानावसर अधिनियम में परिवर्तनों के बाद भी मुद्दा बना हुआ है।

इन परिवर्तनों से न्यायाधीशों के लिए 'सर्वश्रेष्ठ' या 'सर्वोपयुक्त' धर्म तय करने की नई शक्ति पैदा नहीं हुई है। समानावसर अधिनियम के तहत धार्मिक विश्वास या गतिविधि एक संरक्षित विशेषता जारी बनी हुई है।

'धार्मिक निकायों' की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है?

धार्मिक निकाय को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

• किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए स्थापित निकाय

• ऐसा निकाय, जो किसी शैक्षिक या अन्य धर्मार्थ निकाय की स्थापना, निर्देशन, नियंत्रण या प्रशासन करता है और जिसका संचालन धार्मिक आस्थाओं, विश्वासों या सिद्धांतों के अनुरूप किया जाता है।

'धर्मिक आस्थाओं, विश्वासों या सिद्धांतों के अनुरूप' होने का क्या अर्थ है?

इस अपवाद के लागू होने के लिए यह अनिवार्य है कि धार्मिक निकाय भेदभाव की आवश्यकता को इस आधार पर प्रदर्शित करे:

• उनका धर्म यह नियत करता है कि उन्हें किसी विशेष तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है (यानी उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है)।

• किसी अलग तरीके से व्यवहार करने का अर्थ होगा कि वास्तविक रूप से आस्थाओं, विश्वासों या प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों का सम्मान नहीं किया जाता है।

इन बातों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए:

• धार्मिक निकाय द्वारा अपेक्षित विशिष्ट आचरण; और

• धार्मिक मान्यताओं के पालन के लिए यह आचरण किस प्रकार से आवश्यक है।

यह एक वस्तुनिष्ठ आकलन होता है। इसका अर्थ है कि तथाकथित भेदभावकर्ता के व्यक्तिगत दृष्टिकोण के बजाय इस बारे में एक निष्पक्ष दृष्टिकोण सुसंगत होता है कि आचरण की आवश्यकता थी या नहीं।

पूछताछ लाइन 1300 292 153

फैक्स 1300 891 858

एनआरएस वॉयस रिले 1300 555 727 फिर उद्धरण 1300 292 153

दुभाषिए 1300 152 494

ईमेल enquiries@veohrc.vic.gov.au

ट्विट्टर twitter.com/VEOHRC

फेसबुक facebook.com/VEOHRC

वेबसाइट humanrights.vic.gov.au

हमसे संपर्क करें